सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 09, शुक्रवार, *शाके* 1942–जनवरी 29, 2021 *Magha 09, Friday, Saka 1942-January 29, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर , जनवरी 29, 2021

एस.ओ.434 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ,अर्थात-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 266 का संशोधन:- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, के नियम 266 में निम्नलिखित परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात:-

'' परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे पाठयक्रम, जो सीधी भर्ती के लिए उपर्युक्त खण्ड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उक्त पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु :-

(1) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व,

(2) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

(3) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

उसे समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।''

[सं .एफ(2)4एएम/रूल/लीगल/पीआर/2020/83]

राज्यपाल के आदेश से,

मगन लाल योगी,

संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)
NOTIFICATION

Jaipur, January 29, 2021

S.O.434 :- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 266.- In rule 266 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the posts specified in clause (1) and (2) above for direct recruitment, shall be eligible to apply for the said posts but he/she shall have to submit proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency,-

(1) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview ;

(2) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview ;

(3) before appearing in the written examination or interview where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be."

[No. F4(2) AM/Rule/Legal/PR/2020/83]
By order of the Governor,
Magan Lal Yogi,
Jt. Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.